संख्या : 1824/आठ–1–11–19विविध/10

प्रेषक,

आलोक कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 8 जुलाई, 2011

विषयः– भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें–विनियमन) अधिनियम, 1996 नियमावली, 2009 के अन्तर्गत अधिष्ठानों/निर्माण श्रमिकों के पंजीयन, सेस के रूप में संग्रहित पात्र निर्माण श्रमिकों को संचालित योजनाओं का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें–विनियमन) अधिनियम, 1996 नियमावली, 2009 के अन्तर्गत अधिष्ठानों/निर्माण श्रमिकों को सेस के रूप में संग्रहित धनराशि से पंजीकृत निर्माण कर्मकारों के हितार्थ संचालित योजनाओं के अन्तर्गत अनुग्रह राशि/लाभ प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।

2– उल्लेखनीय है कि मा0 उच्चतम न्यायालय में लम्बित रिट याचिका संख्या–318/2006 नेशनल कम्पेन कमेटी बनाम भारत सरकार तथा अवमानना याचिका संख्या–42/2011 व 43/2011 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 25.04.2011 को सेस के रूप में संग्रहित धनराशि रू0 100.00 करोड़ को 08 सप्ताह के अन्दर नियमानुसार पात्र निर्माण श्रमिकों को अनुग्रह राशि/लाभ वितरित किये जाने हेतु आदेश पारित किया गया है। प्रकरण में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा भी की जा रही है।

3– अधिष्ठानों/निर्माण श्रमिकों के पंजीयन का कार्य जिला स्तरीय श्रम कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। अतएव ठेकेदारों तथा हाईटेक/इंटीग्रेटेड टाउनशिप के विकासकर्ताओं के माध्यम से कराये जा रहे कार्यों में कार्यरत श्रमिकों के पंजीयन हेतु जिला स्तरीय श्रम कार्यालय को अपेक्षित सहयोग कर पंजीयन का कार्य कराते हुए उपर्युक्तानुसार सेस के रूप में संग्रहित धनराशि का नियमानुसार पात्र श्रमिकों को वितरित/आवंटित किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
सचिव ।

P.T.O

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, श्रम अनुभाग–2 को उनके पत्र संख्या–556/36–2–11–60/2010, दिनांक 27 मई, 2011 के क्रम में।
2. निदेशक, आवास बन्धु को प्रकरण को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर समस्त संबंधितों को सूचित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

आलोक

(आलोक कुमार)
सचिव ।